

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची

मध्य विद्यालय बी०एम०पी०-1 डोरण्डा परिसर, राँची-834002

0651-2490065(Office), Fax-2490064

Email - jepranchi@gmail.com & dseranchi@gmail.com

" समग्र शिक्षा "



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



पत्रांक.....471.....

दिनांक.....05/04/2025

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
राँची।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/वार्डन
CM SCHOOL OF EXCELLENCE GIRLS, BARIATU, RANCHI
CM SCHOOL OF EXCELLENCE, KANKE, RANCHI
TVS CM SCHOOL OF EXCELLENCE, JAGARNATHPUR, RANCHI
ASTVS DISTRICT CM SCHOOL OF EXCELLENCE, RANCHI
KGBV CM SCHOOL OF EXCELLENCE, NAMKUM, RANCHI

विषय: मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हेतु सत्र 2025-26 में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नामांकन हेतु प्रथम औपबंधिक मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना कि जिला स्तरीय स्कूटनी समिति द्वारा दिनांक 03.04.2025 के बैठक में वर्गवार नामांकन हेतु अनुमोदित प्रथम औपबंधिक मेरिट लिस्ट पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यालयवार विवरणी निम्नवत है-

Block	U-DISE Code	Name of School	Class	Total Selected 1 st Merit List
Kanke	20140116413	CM SCHOOL OF EXCELLENCE GIRLS, BARIATU, RANCHI	VI	119
			VII	02
			VIII	08
			IX	40
			Total	169
Kanke	20140112013	CM SCHOOL OF EXCELLENCE, KANKE, RANCHI	VI	40
			Total	40
Kanke	20140121504	TVS CM SCHOOL OF EXCELLENCE, JAGARNATHPUR, RANCHI	VI	91
			VII	43
			VIII	33
			IX	52
			Total	219
Kanke	20140120009	ASTVS DISTRICT CM SCHOOL OF EXCELLENCE, RANCHI	VI	120
			VII	34
			VIII	02
			IX	19
			Total	175
Namkum	20140806605	KGBV CM SCHOOL OF EXCELLENCE, NAMKUM, RANCHI	VI	25
			Total	25

नामांकन के क्रम में निम्नांकित का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

- संलग्न सूची को विद्यालय के वेबसाईट पर 24 घंटे के अंदर अपलोड किया जाय।
- सभी संबंधित अभिभावकों को आज ही विद्यालय द्वारा दूरभाष पर संपर्क कर सूचना उपलब्ध कराई जाय।



- प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्र-छात्राओं का नामांकन के लिए यह औपबंधिक सूची है, केवल सूची में नाम होने से उनका अंतिम चयन नहीं माना जाएगा।
- नामांकन हेतु राज्य स्तरीय दिशा-निदेश के आलोक में सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त किये जाने हैं।
- सभी अभिभावकों से शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है जिसमें उनके द्वारा सत्यापित किया जाएगा कि-
 1. उनके द्वारा घोषित आरक्षण कोटि सत्य है एवं उनके द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
 2. EWS श्रेणी के संदर्भ में अभिभावक घोषणा करेंगे कि उनकी वार्षिक आय (८ लाख से कम) एवं अन्य परिसंपत्ति नियमानुसार सरकार द्वारा घोषित दिशा-निदेश के अनुसार वे EWS के पात्र हैं तथा उनके द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
 3. जाँच के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यालय को नामांकन रद्द करने का अधिकार होगा, जो उन्हें मान्य होगा।
- सूची में संलग्न छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर ०३ दिनों के अंदर नामांकन सुनिश्चित करायेंगे।
- प्रथम औपबंधिक मेरिट लिस्ट के अनुसार ०१ सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु विद्यालय स्तर से संपर्क किया जाना है। तदोपरांत यह मानते हुए कि संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा नामांकन लेने में अतिरुचि नहीं दर्शाने के कारण जिस कोटि के अभ्यर्थी के द्वारा नामांकन नहीं लिया गया है, उक्त कक्षा तथा कोटि के अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची से नाम उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विद्यालय के द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अनुरोध पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय स्तर से द्वितीय औपबंधित मेरिट लिस्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

निदेश दिया जाता है कि निर्धारित अवधि में नामांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही वर्गवार, कोटिवार रिक्त सीटों का विवरण भी उपलब्ध करायेंगे।

अनु० - प्रथम औपबंधिक मेरिट लिस्ट।

०१
२५/५/२५

विश्वासभाजन
जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची।